उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपकम)

U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्याः 253–पारे0अनु0–04/पाट्राकालि–2023–18/14 टी0सी0 दिनांकः 19 अप्रैल, 2023

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 28.03.2023 को सम्पन्न 90वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–950–विनियम एवं का0वि0नी0/पाकालि/2022–7–विनियम/2019, दिनांक 11.11.2022 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–60–विनियम एवं का0वि0नी0/पाकालि/2023–7–विनियम/19, दिनांक 30.01.23 द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली, 2020 में किये गये द्वितीय एवं तृतीय संशोधन को उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 में एतद्द्वारा अंगीकृत करते हुए उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के कार्यालय ज्ञाप संख्या–986–पारे0अनु0–04/पाट्राकालि–2021–18/14 टी0सी0, दिनांक 11.11.2021 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली, 2020 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली, 2020 (द्वितीय संशोधन)

उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 की आवश्यकतानुसार ई0आर0पी0 प्रणाली में प्रदत्त दण्ड की प्रविष्टि की सुविधा हेतु "उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली–2020" के प्रस्तर–3 में उपबन्धित 'शास्तियों' के अन्तर्गत स्तम्भ–01 के अनुसार लघु शास्तियाँ (एक) परिनिन्दा को स्तम्भ–02 में उल्लिखित व्यवस्था से निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :–

अद्यतन प्रचलित व्यवस्था	**प्रतिस्थापित व्यवस्था**
स्तम्भ–01	स्तम्भ–02
"उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली–2020" के प्रस्तर–3 'शास्तियों' के अन्तर्गत लघु शास्तियाँ का बिन्दु : (एक) **परिनिन्दा**	"उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली–2020" के प्रस्तर–3 'शास्तियों' के अन्तर्गत लघु शास्तियाँ का बिन्दु : (एक) **परिनिन्दा** (Censure)

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली, 2020 (तृतीय संशोधन)

उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 में अधिकतम वेतनमान में स्थिरता प्राप्त कर चुके कार्मिकों एवं सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति होने वाले कार्मिकों को प्रदत्त दण्डादेशों के क्रियान्वयन हेतु, कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप सं0–986–पारे0 अनु0–04/पाट्राकालि–2021–18/14 टी0सी0, दिनांक 11.11.2021 द्वारा निर्गत उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली–2020 के विनियम–3 'शास्तियाँ' के अन्तर्गत (स्तम्भ–01) लघु शास्तियाँ (दो) एवं दीर्घ शास्तियाँ (एक) को निम्नानुसार स्तम्भ–02 में उल्लिखित अतिरिक्त व्यवस्था से प्रतिस्थापित किया जाता है :–

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली–2020 का वर्तमान में प्रचलित विनियम–3 "शास्तिया"	**प्रतिस्थापित विनियम**
स्तम्भ–01	स्तम्भ–02
लघु शास्तियाँ (दो) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वेतन वृद्धि को रोकना	लघु शास्तियाँ (दो) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वेतन वृद्धि को रोकना अथवा विनिर्दिष्ट संख्या में वेतन वृद्धि को असंचयी प्रभाव से कम किया जाना।
दीर्घ शास्तियाँ (एक) संचयी प्रभाव के साथ वेतन वृद्धि को रोकना	दीर्घ शास्तियाँ (एक) संचयी प्रभाव के साथ वेतन वृद्धि का रोकना अथवा विनिर्दिष्ट संख्या में वेतन वृद्धि को संचयी प्रभाव से कम किया जाना

2. उपरोक्तानुसार, "उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली–2020" में संशोधन तत्काल समय से प्रभावी माना जायेगा। कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0–986–पारे0 अनु0–04/पाट्राकालि–2021–18/14 टी0सी0, दिनांक 11.11.2021 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली, 2020 (यथा संशोधित) उक्त सीमा तक संशोधित मानी जायेगी एवं विनियमावली के अन्य समस्त प्राविधान यथावत् रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

संख्या– 253(I)–पारे0अनु0–04/पाट्राकालि/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3- समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, निकट मंत्री आवास, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 एवं स्तर–2), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
7- संयुक्त सचिव (पारेषण–प्रथम), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8- समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि0।
10- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि0।
11- कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
12- अधिशासी अभियन्ता सम्बद्ध निदेशक (ऑपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह इस आदेश को कारपोरेशन की वेबसाइट www.upptcl.org पर शीर्ष प्राथमिकता पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

Satyarth

(सत्यार्थ गंगवार)

उप सचिव (पारेषण–तृतीय)